न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर जिला जोधपुर ग्रामीण

पीठासीन अधिकारी, श्रीमती कंचन राठौड़ आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या – 25/2022
जीसीएमएस सं. – 2022/77

—:: वादी ::—

सत्यनारायण पुत्र शेषाराम जाति माली निवासी कोसाणा हाल निवासी जालीवाड़ा खुर्द तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।

बनाम

—:: प्रतिवादीगण ::—

1. अमराराम पुत्र शेषाराम
2. ओमप्रकाश पुत्र शेषाराम
3. जिमनादेवी पुत्री शेषाराम
4. दलाराम पुत्र शेषाराम
5. सुखाराम पुत्र शेषाराम
6. हवादेवी पुत्री शेषाराम
7. कालुराम पुत्र शेषाराम फौत के कायम मुकाम :—

7/1 मोडकी पत्नि स्व. कालुराम
7/2 नेमाराम पुत्र स्व. कालुराम
7/3 चुन्नीलाल पुत्र स्व. कालुराम
7/4 महेन्द्र पुत्र स्व. कालुराम
7/5 श्रवण पुत्र स्व. कालुराम
7/6 रामूड़ी पुत्री स्व. कालुराम
7/7 मैना पुत्री स्व. कालुराम
7/8 मन्जु पुत्री स्व. कालुराम
7/9 सीता पुत्री स्व. कालुराम

8. बाबुलाल पुत्र शेषाराम फौत के कायम मुकाम :—

8/1 प्रेम पुत्र स्व. बाबुलाल
8/2 मुकेश पुत्र स्व. बाबुलाल
8/3 बेबी पुत्री स्व. बाबुलाल
8/4 सुमित्रा पुत्री स्व. बाबुलाल
8/5 किरण पुत्री स्व. बाबुलाल
सभी जातियान माली निवासी कोसाणा तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।

9. भूमिधारी जरिये तहसीलदार पीपाड़ शहर तहसील कार्यालय पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।
10. प्रबन्धक पंजाब नेशनल बैंक शाखा पीपाड़ शहर

<u>राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

<u>दर्ज तारीख :— 12.04.2022</u>

उपस्थित अधिवक्ता :—

श्री निर्मल कटारिया वादी की ओर से

तहसीलदार पीपाड़ शहर राजकीय पैरोकार

<u>निर्णय</u>

दिनांक : 10.01.2024

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद पत्र धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि वादी की ओर से वादपत्र निम्न

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

प्रकार से हैं कि :– वादी जाति से माली होकर हिंदु हैं और हिन्दु विधि मिताक्षरा से शासित हैं। वादी ग्राम कोसाणा तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर का मूल निवासी हैं। ग्राम जालीवाड़ा खुर्द पटवार हल्का नानण भू अभिलेख निरीक्षक कोसाणा तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर की राजस्व सीमा में खाता संख्या नया 29 व पुराना 102 में दर्ज खसरा नं. 236 रकबा 6.5610 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम कृषि भूमि वादी की सहखातेदारी की हैं। उक्त भूमि में वादी का 1/14 वॉ हक हिस्सा व 8/63 वां हक हिस्सा निहित हैं जिसको आगे वाद पत्र में वादग्रस्त आराजी के नाम से संबोधित किया जायेगा सबूत में जमाबंदी की नकल संवत् 2075–78 की प्रमाणित प्रति सलंग्न पेश हैं। उपरोक्त वर्णित खसरें की भूमि में से वादी अपने 1/14 वॉ हक हिस्से व 8/63 वा हक हिस्सा अर्थात वादग्रस्त आराजी पर काबिज काश्त हैं व बिना रोकटोक शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करता आ रहा हैं। वादी पूर्व में उक्त जमाबंदी में 8/63 वॉ हक हिस्से के रुप में सहखातेदार के रुप में सत्यनारायण पुत्र शेषाराम के नाम से जमाबंदी में दर्ज इन्द्राज हैं जो कि वादी का सही एवं वास्तविक नाम हैं। इसलिए वादी अपने वास्तविक नाम सत्यनारायण पुत्र शेषाराम के रूप में खातेदार घोषित होने का अधिकारी हैं । वादी ने वादग्रस्त आराजी के अन्य सहखातेदार कालूराम पुत्र शेषाराम जाति माली से उनके हक हिस्से की भूमि में से वादग्रस्त आराजी को जरिये पंजीबद्ध बैचाननामा के दिनांक 29.07.2002 को खरीद किया था। उक्त बैचाननामा में वादी का नाम सत्ताराम पुत्र शेषाराम जाति माली निवासी कोसाना हाल निवासी जालीवाड़ा खुर्द अंकित हैं। खरीद के पश्चात वादी ने उक्त वादग्रस्त आराजी में अपने नाम से नामान्तरण भरवाया जो नामान्तरण वादी के नाम सताराम पुत्र शेषाराम जाति माली के नाम से दर्ज हो गया। वादी के सरकारी दस्तावेजों में वादी का नाम सत्यनारायण पुत्र शेषाराम अंकित हैं जो कि सही हैं। इसलिए वादी राजस्व रेकर्ड में अपना नाम शुद्ध करवाने का अधिकारी हैं। वक्त रजिस्ट्री दिनांक 29.07.2002 को वादी का घरेलु बोलचाल वाला नाम सत्ताराम पुत्र शेषाराम जाति माली रजिस्ट्री में अंकित कर दिया गया तपश्चात वादी के सरकारी दस्तावेजो में वादी का सही नाम सत्यनारायण पुत्र शेषाराम अंकित हैं इसलिए वादी सत्यनारायण द्वारा वादग्रस्त भूमि में वादी का सही नाम सत्यनारायण पुत्र शेषाराम जाति माली के रुप में खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने हेतु यह वाद बाबत् घोषणा का प्रस्तुत हैं। अभी हाल में वादी ने वादग्रस्त आराजी की जमाबंदी निकलवाई तो पता चला कि राजस्व रेकर्ड की जमाबंदी में वादी का नाम सताराम इन्द्राज हो रखा हैं तब वादी दिनांक 28.03.2022 को प्रतिवादी तहसीलदार से मिला व अपनी पहचान संबंधी समस्त दस्तावेजों की मूल प्रति पेश कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड में वादी का सही नाम इन्द्राज किया जावें तब प्रतिवादी ने वादी को न्यायालय हाजा के समक्ष वादपत्र पेश करने हेतु निर्देशित किया जिस पर उक्त वाद बाबत घोषणा का प्रस्तुत हैं। वादी की इस्तदुआ इस प्रकार से हैं कि वादी का वाद स्वीकार फरमाया जाकर वाद पत्र के पद सं. 2 में वर्णित वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 236 रकबा 6.5610 हैक्टयर किस्म बारानी प्रथम वादी के 1/14 वां हक हिस्से पर वादी के सताराम पुत्र शेषाराम के स्थान पर सही नाम सत्यनारायण पुत्र शेषाराम जाति माली के रूप में खातेदारी नाम घोषित किये जाने का आदेश फरमावें। अन्य अनुतोष जो हित वादी हो अता फरमावें।

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

वादी के वाद को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये । प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता ऋषि टाक ने वकालतनामा व एडमिटेट जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि ग्राम जालीवाड़ा खुर्द के खसरा नम्बर 236 रकबा 6.5610 हैक्टयर में वादी के 1/14 वां हक हिस्से पर वादी का नाम सताराम पुत्र शेषाराम के स्थान सत्यनारायण पुत्र शेषाराम किया जाता हैं तो प्रतिवादीगण को कोई आपति नही हैं। इसी प्रकार प्रतिवादी सं.9 तहसीलदार पीपाड़ शहर ने भी अपने जवाब में भी ग्राम जालीवाड़ा खुर्द के खसरा नम्बर 236 रकबा 6.5610 हैक्टयर में वादी का नाम सताराम पुत्र शेषाराम 1/14 के स्थान पर सत्यनारायण पुत्र शेषाराम 8/63 किये जाने की अनुशंषा की हैं।

हमने बहस वकुलाय सुनी, वादी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र के बिन्दुओ को दोहराते हुए राजस्व ग्राम जालीवाड़ा खुर्द की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 236 रकबा 6.5610 हैक्टयर किस्म बारानी प्रथम वादी के 1/14 वां हक हिस्से पर वादी का नाम सताराम पुत्र शेषाराम के स्थान पर सही नाम सत्यनारायण पुत्र शेषाराम घोषित फरमाने का निवेदन किया हैं। इसी प्रकार वकील प्रतिवादीगण ने एडमिटेट जवाब प्रस्तुत कर इस बाबत् अनापति जाहिर की हैं एवं तहसीलदार पीपाड़ शहर ने अपने जवाब में भी ग्राम जालीवाड़ा खुर्द के खसरा नम्बर 236 रकबा 6.5610 हैक्टयर में वादी का नाम सताराम पुत्र शेषाराम 1/14 के स्थान पर सत्यनारायण पुत्र शेषाराम 8/63 किये जाने की अनुशंषा की हैं।

निर्णय

वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत स्वीकार कर तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेश दिया जाता हैं कि राजस्व ग्राम जालीवाड़ा खुर्द के खसरा नम्बर 236 रकबा 6.5610 हैक्टयर में वादी का नाम सताराम पुत्र शेषाराम 1/14 के स्थान पर सताराम उर्फ सत्यनारायण पुत्र शेषाराम 8/63 दर्ज कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करें।

(कंचन राठौड़)
सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

निर्णय आज दिनांक 10.01.2024 को सर–ए–इजलास सुनाया गया ।

(कंचन राठौड़)
सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर